संख्या 20011/1/95-अ0भा0से0 (II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई, 1996

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय:- राज्य सिविल सेवा/गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति पर उनके वेतन के संरक्षण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर 6 मई, 1994 तथा 14 जुलाई, 1995 को जारी की गई कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं0 20011/2/93-अ0भा0से0 (II)-क का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसके तहत राज्य सरकारों में राज्य सिविल सेवा/गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा प्राप्त वेतन चयन ग्रेड के अधिकतम पर 5700 रूपये तक संरक्षित किया जा सकता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान का तृतीय और अंतिम घटक है । यह लाभ, 1.1.1986 अर्थात् केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के संशोधित वेतनमान की तारीख से नोशनल आधार पर और 9.5.1994 (दिनांक 6.5.1995 की अधिसूचना के लागू होने की तारीख से) वास्तविक आधार पर मिलता है । तद्नुसार ऐसे मामलों में वेतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उसी स्तर पर निर्धारित किया जाता है जो उनके राज्य वेतन के बराबर है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि क्या संबंधित अधिकारी अपनी वरिष्ठता के नाते ऐसे स्तर पर स्थानन के लिए पात्र है अथवा नहीं तथा अपने आबंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर चयन ग्रेड के पात्र होने तक आगे कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाती है ।

2. यह ध्यान में लाया गया है कि उपर्युक्त तरीके से वेतन निर्धारण के कारण विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसी स्तर पर वेतन अवरूद्ध (फ्रीज़) किए जाने तथा चयन ग्रेड के लिए पात्रता होने तक आगे की कोई वेतनवृद्धि न दिए जाने से पदोन्नत अधिकारियों को विसंगतियों तथा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यह पाया गया है कि वेतन निर्धारण की नई पद्धति के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहले से पदोन्नत अधिकारी जिसका वेतन समान स्तर पर अवरूद्ध करके निर्धारित होता है, राज्य वेतनमान में एक या एक से अधिक वेतनवृद्धियों के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में बाद में पदोन्नति पाने वाले कनिष्ठ अधिकारी की अपेक्षा कम वेतन पाता है । इस तरह से, चूंकि ऐसे मामलों में वरिष्ठता को वेतन से अलग कर दिया गया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी का वेतन एक विशेष स्तर पर अवरूद्ध हो जाता है, कनिष्ठ अधिकारी का वेतन भारतीय

...2/-

प्रशासनिक सेवा में तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर पर निर्धारित होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में उच्चतर पदोन्नति के परिणामस्वरूप राज्य सेवा में रहने से प्राप्त वेतनवृद्धियों सहित उनके राज्य वेतन के बराबर होता है । इससे भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहले से पदोन्नत हुए अधिकारियों के लिए वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है ।

3• ऐसी विसंगतियों को दूर करने की बात सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित कर रही है । ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 6•5•1994 तथा 17•7•1995 की अधिसूचनाओं द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा{वेतन} नियमावली, 1954 में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए राज्य सिविल सेवा/गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का वेतन उनके राज्य वेतन से ऊपर अगले स्तर पर वरिष्ठ वेतनमान में निर्धारित किया जाए । भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान हैं:-{i} समय वेतनमान-3200-4700 रू0 {ii} कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- 3950-5000 रू0; तथा {iii} चयन ग्रेड- 4800-5700 रू0 । इस तरीके से वेतन निर्धारित करते समय यदि वेतन वरिष्ठ वेतनमान के किन्हीं दो ग्रेडों पर पहुंचता है तो अधिकारी को इन दो ग्रेडों में से निम्न ग्रेड में रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त 5700 रू0 पर सामान्य रूप से पहुंचने तक वार्षिक वेतनवृद्धि भी दी जाए । अगले उच्च वेतनमान में अथवा अधि-समय वेतनमान{सुपरटाइम स्केल} {5900-6700रू0} में आगे कोई वेतनवृद्धि या वेतन निर्धारण उस समय तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इस ग्रेड में वास्तविक रूप से पदोन्नत नहीं हो जाते । अवरूद्धता{स्टेगनेशन} वेतनवृद्धि निश्चित रूप से उनको स्वीकार्य होगी यदि वे सुपरटाइम वेतनमान में पदोन्नत होने से पहले 5700/-रू0 की स्टेज पर दो वर्षों तक अवरूद्ध होते हैं ।

4• उपर्युक्त लाभ वस्तुत: 9•5•1994 से मिलेंगे जो दिनांक 6•5•1994 की अधिसूचना की प्रभावी तारीख है तथा पिछली अवधि के लिए कोई बकाया राशि अनुमत्य नहीं होगी । दिनांक 14•7•1995 की अधिसूचना के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को निश्चय ही 1•1•1986 से इसका परिकल्पित {नोशनल} लाभ मिलेगा ।

5• उपर्युक्त सिद्धांत यथावश्यक परिवर्तनों सहित भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के सदस्यों के मामलों में भी लागू होंगे ।

6. यह अनुरोध है कि इस पत्र की विषयवस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में लायी जाए । ऐसे मामले जिनमें वेतन पहले ही निर्धारित किया जा चुका है उन्हें पुन: खोला जाए और तद्नुसार उनमें संशोधन किए जाए ।

भवदीय,

(यश ढींगरा)
डेस्क अधिकारी

प्रति:- प्रत्येक को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित, सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए :

1. गृह मंत्रालय, भारतीय पुलिस सेवा-II अनुभाग ।

2. गृह मंत्रालय, यू.टी.एस. ।

3. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारतीय वन सेवा-II शाखा ।

वित्त-II, गृह मंत्रालय को भी एक प्रति सूचनार्थ ।

(यश ढींगरा)
डेस्क अधिकारी